

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) पिथिस

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान

इंद्रसिंह झाँसी बनाम राजस्थान सरकारदावा बाबत दावा अंतर्गत धारा 88मुकदमा नम्बर :- 82/2022निर्णय दिनांक :- 27-05-22

वादी की ओर से 27-05-22 की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27-05-22 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी रबीका (किता जाकर, रोही ग्राम कुनक्षीसा खाता नि. 55, खे. नं. 148, 822/160 की जमाबंदी में अंकित नाम इन्द्रसिंह पुत्र दलाराम जीवराजसिंह पुत्र दलाराम, प्रतापसिंह पुत्र दलाराम, रामधारी पत्नी दलाराम, शिशपालसिंह पुत्र दलाराम, सोवसिंह पुत्र दलाराम के साथ इन्द्रसिंह पुत्र दलाराम, जीवराजसिंह पुत्र दलाराम, प्रतापसिंह पुत्र दलाराम, रामधारी पत्नी दलाराम, शिशपालसिंह पुत्र दलाराम, सोवसिंह पुत्र दलाराम कुलदत्त किशोरा के द्वारा दावा की जाती है। तलवार के उभारुदास राजस्थान अधिलेख में अंतर्गत प्रामद में।

यह आज तारीख 27-05-22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्च

उपखण्ड अधिकारी

वादी	प्रतिवादी	
	रूपया	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील		
जोड़	जोड़	



मां.सं. 1301
27-05-22